विशेष विवरण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौमूं (जयपुर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट मुख्यालय चौमूं)

मु.न. 114/2016

उनवान

1. गुलाबचन्द पुत्र रामनाथ, जाति माली, निवासी ग्राम विजयसिंहपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

बनाम

1. फूलचन्द पुत्र रूडमल
2. लक्ष्मण पुत्र रूडमल
3. देवाराम पुत्र रूडमल
4. मुकेश पुत्र रूडमल
5. बाबुलाल पुत्र छीतरमल
6. शंकर पुत्र छीतरमल
7. पप्पू पुत्र कालूराम
8. कैलाश पुत्र भैंरूराम
   समस्त जाति माली, निवासी ग्राम विजयसिंहपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
9. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 19.05.2018

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार कोर्ट कैम्प मुख्यालय चौमूं मे पेश हुई। प्रार्थी ने अपने वाद में निवेदन किया है कि वाके ग्राम विजयसिंहपुरा, पटवार हल्का विजयसिंहपुरा, भू.अभि.नि. क्षेत्र सामोद, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में हाल खाता संख्या 31 मे वर्णित खसरा नम्बरान 58 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 59 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 802/1080 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 804/1081 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 805 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 812 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 813 रकबा 0.04 हैक्टेयर, कुल किता 7 का कुल रकबा 0.91 हैक्टेयर की खातेदारी वादी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि के पास ही प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 की भूमियां भी स्थित है। वादी की भूमि खसरा नम्बर 58 व 59 में वादी द्वारा पुख्ता मकान बनाकर सीमाओं पर पुख्ता दीवार का निर्माण कर रखा है तथा उक्त खसरा नम्बर 58 व 59 की दक्षिणी सीमा के लगवा पडौसी प्रतिवादीगण की भूमि स्थित है। उक्त खसरा नम्बरान् 58 व 59 की दक्षिणी सीमा ही इस वाद पत्र में विवादग्रस्त है जिसे की वाद पत्र के अग्रिम मदों में विवादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया जा रहा है।

विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 58 व 59 की दक्षिणी सीमा की ओर स्थित प्रतिवादीगण की भूमि में प्रतिवीगण संख्या 1 ता 8 द्वारा आये दिन मिट्टी का कटाव कर वादी की दीवार को गिराने की कार्यवाही की जाती है तथा स्वयं के खेत में मिट्टी का कटाव लगवाकर वादी की भूमि विवादग्रस्त खसरा नम्बर 58 व 59 की सीमाओं को खुर्द बुर्द कर स्वयं की भूमि में मिला लेना चाहते है।

विवादित भूमि खसरा नम्बर 58 व 59 की सीमा के कब्जे एवं स्वामित्व से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध एवं सरोकार नहीं है। तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता

उप खण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

8 का वादी की भूमि से कोई लेना देना या सम्बन्ध सरोकार नहीं है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 वादी की भूमि की सीमाओं पर निर्मित दीवार को तोड फोडकर अतिक्रमण कर वादी को नुकसान कारित करना चाहते है। जिस कारण प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 आये दिन बिना वजह वैमनस्य के कारण विवादग्रस्त भूमि को हडप करने व उस पर जबरिया नाजायज कब्जा करने के उद्देश्य से पुख्ता दीवार की नींव की मिट्टी में कटाव लगाने का प्रयास करते रहते है तथा विवादग्रस्त भूमि के वादी द्वारा किये जा रहे शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग में व्यवधान कारित करते रहते है जिसका प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 को कोई हक अधिकार नहीं है। इसी उद्देश्य से प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 द्वारा अन्य असामाजिक तत्वों व भूमाफियों की मदद से दिनांक 01.07.2016 को भारी वर्षा होने का फायदा उठाकर स्वयं के खेत में भरे पानी को वादी के खेत में घुसाने के उद्देश्य से खसरा नम्बर 58 की दक्षिणी दिशा में बनी वादी की पुख्ता दीवार को तोडकर पानी को वादी के खेत में घुसाने का प्रयास किया जिससे कि वादी के खेत के सीमाचिन्ह समाप्त हो जावे तथा वादी की भूमि को प्रतिवादीगण स्वयं की भूमि में मिलाने में कामयाब हो जावे। जिसका विरोध वादी द्वारा किये जाने पर तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 को उक्त विवादग्रस्त भूमि का सीमाज्ञान करवाने बाबात् कहा तो प्रतिवादीगण सं. 1 ता 8 द्वारा वादी को एहलानियां धमकी दी गई कि वह शीघ्र ही विवादित भूमि की सीमाओं पर बनी पुख्ता बाउन्ड्रीवाल को ध्वस्त कर जबरिया कब्जा कर वादी को बेदखल कर देंगे तथा वादी को विवादग्रस्त भूमि का शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग नहीं करने देंगे जिसमें यदि वादी ने कोई आपत्ति की तो इसका परिणाम अच्छा नही होगा, जिस कारण वादी द्वारा वाद पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य हुआ।

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 द्वारा वाद पत्र की मद संख्या 5 में वर्णितानुसार दिनांक 01.07.2016 को विवादग्रस्त भूमि पर आकर जबरिया कब्जा करने, पुख्ता दीवार को तोडने की एलानियां धमकी देने के कारण वादी को कानूनन हक अधिकार प्राप्त है कि वह प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस कदर पाबन्ध करवायें कि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 वाद पत्र में वर्णित विवादित भूमि के वादी द्वारा किये जा रहे शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग में व्यवधान कारित नहीं करें, ना हीं विवादित भूमि खसरा नम्बर 58 व 59 की सीमाओं पर बनी पुख्ता दीवार को तोड फोड नहीं करे, ना हीं स्वयं के खेत में भरे पानी को वादी के खेत में घुसाने का प्रयास करें, ना हीं वादी के खेत की मिट्टी में कोई कटाव करें, ना हीं विवादित भूमि पर जबरिया कब्जा कर वादी को बेदखल करें, अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 विवादग्रस्त भूमि की यथावत स्थिति बनाये रखें उपरोक्त समस्त कृत्य प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 ना तो स्वयं करें ना ही अपने किसी एजेन्ट सर्वेन्ट या वर्कमेन के जरिये करवायें।

यदि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 को वाद पत्र में वर्णितानुसार जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्ध नहीं किया गया तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 जबरिया विधि विरूद्ध रूप से विवादित भूमि की सीमाओं पर बनी पुख्ता बाउन्ड्रीवाल को तोडकर जबरन कब्जा कर लेंगे तथा वादी को विवादित भूमि का शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग नहीं करने देंगे जिस कारण वादी के साम्पत्तिक अधिकारों का हनन होगा, जिससे वादी को ऐसी अपूर्तनीय क्षति होगी, जिसकी भरपाई किया जाना सम्भव नहीं होगा।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस कदर पाबन्ध किया जावे कि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 वाद पत्र में वर्णित विवादित भूमि के वादी द्वारा किये जा रहे शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग में व्यवधान कारित नहीं करें, ना हीं विवादित

उप खण्ड अधिकारी
चौमू जिला–जयपुर

Scanned by CamScanner

भूमि खसरा नम्बर 58 व 59 की सीमाओं पर बनी पुख्ता दीवार को तोड फोड नहीं करे, ना ही स्वयं के खेत के पानी को वादी के खेत में घुसाने का प्रयास करें, ना ही वादी के खेत की मिट्टी में कोई कटाव करें, ना ही विवादित भूमि पर जबरिया कब्जा कर वादी को बेदखल करें, अर्थात् प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 विवादग्रस्त भूमि की यथावत स्थिति बनाये रखें उपरोक्त समस्त कृत्य प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 ना तो स्वयं करें ना ही अपने किसी एजेन्ट सर्वेन्ट या वर्कमेन के जरिये करवायें।

वादी के वाद पत्र पेश करने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित आये जिस कारण उनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल मे लाई गई। आज कैम्प में वादी स्वयं उपस्थित आया। वादी को सुना गया। वादी आराजी का खातेदार काश्तकार है। पत्रावली, दस्तावेजात व बहस का अवलोकलन किया गया। नकल जमाबन्दी के अनुसार वादी विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार काश्तकार अपनी खातेदारी भूमि के उपयोग उपभेग के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकार प्राप्त है। लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद स्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि विवादित भूमि आराजी खसरा नम्बर 58, 59, 802/1080, 804/1081, 805, 812, 813 कुल किता 7 का कुल रकबा 0.91 हैक्टेयर, वाके ग्राम विजयसिंहपुरा, पटवार हल्का विजयसिंहपुरा, भू.अभि.नि. क्षेत्र सामोद, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस कदर पाबन्द किया जाता है कि उक्त विवादित सम्पत्ति मे वादी द्वारा किये जा रहे शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग में व्यवधान कारित नहीं करें, ना हीं विवादित भूमि खसरा नम्बर 58 व 59 की सीमाओं पर बनी पुख्ता दीवार को तोड फोड नहीं करे, ना ही स्वयं के खेत के पानी को वादी के खेत में घुसाने का प्रयास करें, ना ही वादी के खेत की मिट्टी में कोई कटाव करें, ना ही विवादित भूमि पर जबरिया कब्जा कर वादी को बेदखल करें,, ना हीं विवादित सम्पत्ति की सींवडोल को तोडे, ना हीं उसे खुर्द बुर्द करें, ना हीं विवादित सम्पत्ति पर जबरिया प्रवेश करें, ना ही निर्माण कार्य करें, ना ही निर्माण सामग्री डाले, अर्थात् प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 विवादग्रस्त सम्पत्ति की यथावत स्थिति बनाये रखें उपरोक्त समस्त कृत्य प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ना तो स्वयं करें ना ही अपने किसी एजेन्ट सर्वेन्ट या वर्कमेन के जरिये करवायें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19.05.2018 को न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट मुख्यालय चौमूं में सुनाया गया।

(प्रियव्रत सिंह चारण)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौमूं (जयपुर)

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट मुख्यालय चौमूं)

पीठासीन अधिकारी :– प्रियव्रत सिंह चारण (R.A.S)

मुकदमा नम्बर :– **114/2016**

उनवान

1. गुलाबचन्द पुत्र रामनाथ, जाति माली, निवासी ग्राम विजयसिंहपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

बनाम

1. फूलचन्द पुत्र रूडमल
2. लक्ष्मण पुत्र रूडमल
3. देवाराम पुत्र रूडमल
4. मुकेश पुत्र रूडमल
5. बाबुलाल पुत्र छीतरमल
6. शंकर पुत्र छीतरमल
7. पप्पू पुत्र कालूराम
8. कैलाश पुत्र भैंरूराम

समस्त जाति माली, निवासी ग्राम विजयसिंहपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू वादी मिनजामिन मुददई रूबरू प्रियव्रत सिंह चारण आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है की वादी का वाद स्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि विवादित भूमि आराजी खसरा नम्बर 58, 59, 802/1080, 804/1081, 805, 812, 813 कुल किता 7 का कुल रकबा 0.91 हैक्टेयर, वाके ग्राम विजयसिंहपुरा, पटवार हल्का विजयसिंहपुरा, भू.अभि.नि. क्षेत्र सामोद, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस कदर पाबन्द किया जाता है कि उक्त विवादित सम्पत्ति मे वादी द्वारा किये जा रहे शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग में व्यवधान कारित नहीं करें, ना हीं विवादित भूमि खसरा नम्बर 58 व 59 की सीमाओं पर बनी पुख्ता दीवार को तोड फोड नहीं करे, ना ही स्वयं के खेत के पानी को वादी के खेत में घुसाने का प्रयास करें, ना ही वादी के खेत की मिट्टी में कोई कटाव करें, ना ही विवादित भूमि पर जबरिया कब्जा कर वादी को बेदखल करें,, ना हीं विवादित सम्पत्ति की सींवडोल को तोडे, ना हीं उसे खुर्द बुर्द करें, ना हीं विवादित सम्पत्ति पर जबरिया प्रवेश करें, ना ही निर्माण कार्य करें, ना ही निर्माण सामग्री डाले, अर्थात् प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 विवादग्रस्त सम्पत्ति की यथावत स्थिति बनाये रखें उपरोक्त समस्त कृत्य प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ना तो स्वयं करें ना ही अपने किसी एजेन्ट सर्वेन्ट या वर्कमेन के जरिये करवायें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर लोक अदालत कैम्प कोर्ट मुख्यालय चौमूं मे आज तारीख 19.05.2018 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
चौमूं जिला–जयपुर

Scanned by CamScanner

मोहर

(प्रियव्रत सिंह चारण)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदाईला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा	1		स्टाम्प वकालत नामा	2	
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान	3		मीजान	2	

नोटः– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

उप खण्ड अधिकारी
चौमू जिला–जयपुर

Scanned by CamScanner